न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
63/2020/प्रा.पत्र/2020	15.07.2020	23.12.2021

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

...... प्रार्थी

बनाम

1–श्री दिलीप कुमार जैन पुत्र श्री पदम चन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स गोयल ब्रादर्स चौपड चौराहा के पास डिग्गी तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं0 10 जैन मन्दिर के पास डिग्गी तहसील मालपुरा जिला टोंक
2– मैसर्स गोयल ब्रादर्स चौपड चौराहा के पास डिग्गी तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0
3–श्री रमेश अंशीराम डींगरा प्रोपरायटर मैसर्स मारलैक्स कन्फैक्शनरी वर्क्स रेलवे स्टेशन के पास उल्लास नगर–4 तालुका एंव जिला ठाणे जोन नं09 महाराष्ट्र
4– मैसर्स मारलैक्स कन्फैक्शनरी वर्क्स रेलवे स्टेशन के पास उल्लास नगर–4 तालुका एंव जिला ठाणे जोन नं09 महाराष्ट्र

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–श्री विजेन्द्र गोयल,अभिभाषक अप्रार्थीगण उपस्थित

:–निर्णय–:

दिनांक 23.12.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 12.02.2020 को समय 11.02 ए.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स गोयल ब्रादर्स चौपड चौराहा के पास डिग्गी तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0 पर पहुंचां। प्रोपरायटर की हैसियत से श्री दिलीप कुमार जैन पुत्र श्री पदम चन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स गोयल ब्रादर्स चौपड चौराहा के पास डिग्गी तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं0 10 जैन मन्दिर के पास डिग्गी तहसील मालपुरा जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर अपना पत्र होना जाहिर किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.03.16 14:53:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय हेतु दुकान मे **सुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी संतरा गोली मारलेक्स स्वीट्स ब्राण्ड (Sugar Boiled Confectionary Marlex Sweets Brand)** रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर, विकेता श्री दिलीप कुमार जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में बास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता दिलीप कुमार जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे 500–500 ग्राम के 30 प्लास्टिक बोतल मूल **सुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी संतरा गोली मारलेक्स स्वीट्स ब्राण्ड (Sugar Boiled Confectionary Marlex Sweets Brand)** रखे हुये मे से 500–500 ग्राम की 4 मूल पैक बोतल का चयन कर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विकेता. श्री दिलीप कुमार जैन को रू0 84/–अक्षरे चौरासी रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **सुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी संतरा गोली मारलेक्स स्वीट्स ब्राण्ड (Sugar Boiled Confectionary Marlex Sweets Brand)** खरीदशुद्वा 4 मूल पैक बातल को बराबर–बराबर अलग–अलग चार साफ एंव सूखे कागज के गत्ते के डिब्बो मे अलग–अलग त्यो का त्यो रखकर डिब्बो के ढक्कन को एयरटाईट बंद कर चार भाग तैयार कर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं कमांक I–2413 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विकेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2413 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विकेता. दिलीप कुमार जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।खाध पदार्थ का नमूना कय करते समय श्री दिलीप कुमार जैन ने मौके पर **सुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी संतरा गोली मारलेक्स स्वीट्स ब्राण्ड (Sugar Boiled Confectionary Marlex Sweets Brand)** का बतोर वारंटी बिल मैसर्स मारलैक्स कन्फैक्शनरी वर्क्स रेलवे स्टेशन के पास उल्लास नगर–4 तालुका एंव जिला ठाणे जोन नं09 महाराष्ट्र का खरीद/वारन्टी बिल संख्या/इन्वॉइस नं0 1143 दिनांक 28.01.2020 की छायाप्रति पेश की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.03.16 14:53:42 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए. / 2020 / 794 दिनांक 06.03.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0 / 264 / एक्ट / 2020 / 326 दिनांक 25.02.2020 अनुसार दिलीप कुमार जैन से वास्ते नमूना जांच विकय किया गया **सुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी संतरा गोली मारलेक्स स्वीट्स ब्राण्ड** (Sugar Boiled Confectionary Marlex Sweets Brand) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(i) (zf) (c) (i) के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का **सुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी संतरा गोली मारलेक्स स्वीट्स ब्राण्ड** (Sugar Boiled Confectionary Marlex Sweets Brand) का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत ना कर बहस हेतु निवेदन किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **सुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी संतरा गोली मारलेक्स स्वीट्स ब्राण्ड** (Sugar Boiled Confectionary Marlex Sweets Brand) का विकय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **सुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी संतरा गोली मारलेक्स स्वीट्स ब्राण्ड** (Sugar Boiled Confectionary Marlex Sweets Brand) का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के [illegible] की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रा[illegible] दिल[illegible] कुमार जैन पुत्र श्री पदम चन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स गोयल ब्रादर्स [illegible] चौराहा के [illegible] डिग्गी तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं0 10 जै[illegible] तहसील मालपुरा जिला टोंक

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.03.16 14:53:42 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय टोंक

पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) अप्रार्थी श्री रमेश अंशीराम डींगरा प्रोपरायटर मैसर्स मारलैक्स कन्फैक्शनरी वर्क्स रेलवे स्टेशन के पास उल्लास नगर–4 तालुका एंव जिला ठाणे जोन नं09 महाराष्ट्र पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) आरोपित की जाती हैअभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 23.12.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

23.12.2021

(मुरारी लाल शर्मा)
न्याय[illegible] अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.03.16 14:53:42 IST
Reason: SelfAttested